

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)


// विधि आदेश //

क्रमांक⁰⁷..... /
दो-22-01/94,

रीवा, दिनांक 19 /01/2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के अधिसूचना क्रमांक A/8775/I-7-3/2023(Part-I) दिनांक 28.12.2023 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा इस न्यायिक जिला स्थापना हेतु कलेक्टर, जिला रीवा, के आदेश क्रमांक 13/व.लि.-2/2024 दिनांक 09.01.2024 द्वारा वर्ष 2024 के लिए घोषित तीन स्थानीय अवकाशों में से दिनांक 11 अक्टूबर 2024 एवं 30 अक्टूबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित दिनांक दिन/त्यौहार के लिये वर्ष 2024 हेतु स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार अवकाश का नाम
1	27 मार्च, 2024	बुधवार	भाई दूज



(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

पृ0क्रमांक³⁵³..... /
दो-22-01/94,

रीवा, दिनांक 19 /01/2024

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय न्यायाधिपति महोदय, पोर्टफोलियो जज (रीवा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा;
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा;
5. न्यायालय..... रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योथर/हनुमना/मनगंवा;
6. प्रभारी अधिकारी कार्यालय/नजारत/अभिलेखागार/मालखाना/ग्रंथालय/
प्रतिलिपि/कम्प्यूटर/तलवाना/फाईलिंग/सांख्यिकी, अनुभाग, रीवा/मउगंज/सिरमौर/
त्योथर/हनुमना/मनगंवा;
7. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ रीवा;
8. शासकीय अभिभाषक रीवा;
9. कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रीवा;
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. जे0एस0ए0 रीवा की ओर आदेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा, म0प्र0